उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-69/2018/1809/92-2-2018-79जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 02 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-सहारनपुर में वर्ष 2013-14 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सी0बी0 शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-184/2017/1888/92-2-17-79जांच/2015 दि0 13-10-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शुद्धि पत्र सं0-3398/92-2-17-79जांच/15 दिनांक 27-12-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारीसेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ के पत्र संख्या-2344/ ग्रा0अ0वि0/अनु0का0/लो0ग्राम-गौ0बु0नगर/2017-18 दिनांक 28-3-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित दो आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त एवं इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री शर्मा अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-07-2015 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत तथा अपचारी अधिकारी पर कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के फलस्वरूप श्री शर्मा के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-10-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शुद्धि पत्र दिनांक 27-12-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित करते हुये बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-69/2018/1809(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ।

3- श्री सी0बी0 शर्मा, तत्का0 सहा0अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-गाजियाबाद सम्प्रति से0नि0 द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।